# झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

**डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–755 वर्ष 2017**

डॉ0 कुमार कांत मिश्रा ..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. कुलाधिपति, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग
3. कुलपति, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग
4. सचिव, झारखंड लोक सेवा आयोग, रांची
5. निबंधक, झारखंड लोक सेवा आयोग, रांची
6. सचिव, उच्च तकनीकी शिक्षा कौशल विकास विभाग, नेपाल हाउस, रांची

.... ..... उत्तरदातागण

**कोरम :** **माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ0) एस0एन0 पाठक**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री पी0सी0 त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री जे0एस0 त्रिपाठी, अधिवक्ता

राज्य के लिएः– श्री एल0सी0एन0 शाहदेव, एस0सी0

विश्वविद्यालय के लिएः– श्री अशोक कुमार सिंह, अधिवक्ता

जे0पी0एस0सी0 के लिएः– श्री संजय पिपरावाल, अधिवक्ता

**04 / 02.01.2018** झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री संजय पिपरावाल ने शुरूआत में ही बताया कि रिट याचिका के काउज टाईटल में उपयुक्त

सुधारों की आवश्यकता है और झारखंड लोक सेवा आयोग, रांची के स्थान पर आयोग के सचिव को प्रतिवादी–4 एक पार्टी के रूप में जोड़ा जा सकता है।

निवेदन के मद्देनजर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को पूरे दिन भर के दौरानरिट याचिका के काउज टाईटल में उपयुक्त सुधार करने के लिए निर्देश दिया जाता है।

. श्री पी0सी0 त्रिपाठी, याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में समयबद्ध पदोन्नति के भुगतान के लिए तत्काल रिट याचिका दायर की है और आगे उन्होनें उक्त पद केलिए बकाया मौद्रिक लाभों के भुगतान के लिए एक निर्देश की मांग की है।

विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों आदि के पदोन्नति के दावे पर विचार करने के लिए डब्ल्यू0पी0 (एस0) 3375/2016, दुखू राम कुरी बनाम झारखंड राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय के दिनांक 01.05.2017 के आदेश से एक समिति पहले ही गठित की जा चुकी है और कई मामले उक्त समिति के समक्ष दायर की गई है।

ऐसे परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने के लिए इस मामले को उक्त समिति के समक्ष भी भेजा जा रहा है। याचिकाकर्ता, यदि ऐसी सलाह दी जाती है, तो अपनी शिकायत के निवारण के लिए रिट याचिका की प्रति संलग्न करते हुए समिति के समक्ष जा सकते हैं। यदि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा अभ्यावेदन दायर किया जाता है, तो समिति याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगी और इस तरह के अभ्यावेदन की तारीख से

अधिमानतः चार महीने की अवधि के भीतर यथाशीघ्र उचित आदेश पारित करेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता को पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाता है और उसके दावे सही पाए जाते हैं, तो उसके बाद छह सप्ताह की आगे की अवधि के भीतर उसे लाभ प्रदान करने के लिए उचित आदेश पारित किए जाए।

उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देश के साथ, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

((डॉ0) एस0एन0 पाठक, न्याया0)